

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-2, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-2 देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री चंद्रमोहन सिंह रावत (तदर्थ) एवं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.09.2020 से 21.09.2020 तक श्री शशिकान्त पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गोवन्द सिंह, श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय एवं चंद्रमोहन सिंह रावत (तदर्थ), सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.11.2019 से 24.11.2019 तक श्री राजकुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह ---- से ---- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: - पलख बाजार, तिलक रोड़, भण्डारी बाग, लटखी बाग

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (Rs. लाख में)
2017-18	1999.1
2018-19	1344.07
2019-20	1322.76

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (Rs. लाख में)

वर्ष	Plan		Non plan		अधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष Rs.	प्राप्त Rs.	व्यय अधिक्य (+)Rs.	बचत (-)Rs.
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त राज्य कर> अपर आयुक्त राज्य कर> संयुक्त आयुक्त राज्य कर> उपायुक्त राज्य कर >सहायक आयुक्त राज्य कर> राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-2 देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-2 देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: ----- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ----- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 01 : अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण ₹19.46 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 4.62 लाख।

प्रस्तर- 02 : नियम विरुद्ध कर में छूट दिये जाने के कारण राजस्व क्षति रु 198407.00।

प्रस्तर- 03 : कर के न्यूनरोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 0.17 लाख।

प्रस्तर- 04 : सुख साधन कर समय से जमा न किए जाने कारण के अर्थदण्डका अनारोपण ₹0.55 लाख।

प्रस्तर- 05 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप रु 39070.00 की राजस्व क्षति।

प्रस्तर- 06 : समाधान राशि के विलंब से जमा किए जाने पर ब्याज का अनारोपण ` 0.20 लाख।

प्रस्तर- 07 : समाधान योजना का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण राजस्व क्षति ` 15.96 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग 2 'अ'**प्रस्तर- 01 : अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण ₹19.46 लाख।**

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ₹50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक **देय कर/टी.डी.एस.** का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ₹ 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है। पुनः, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34(4) के अनुसार, 'स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जाएगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अंतिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

पुनः, उपधारा (8) में विहित किया गया है कि उपधारा (1), (2) अथवा (3) में निर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (4) की अपेक्षानुसार जमा करने में असफल रहता है, तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गई और यदि काटी गयी तो इस प्रकार सरकारी कोषागार में जमा न की गयी **धनराशि के दुगुने से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा।**

पुनः, उपधारा (9) में विहित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गयी धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो वह इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी तो इस प्रकार जमा न की गयी धनराशि पर उस तारीख से जब ऐसी धनराशि कटौती योग्य थी, से उस तारीख तक जब ऐसी धनराशि वास्तव में जमा की गयी, 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का देनदार होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)-2, राज्य कर विभाग देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान **सर्वश्री रिषभनाथ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि** की वर्ष 2014-15 की कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि उपरोक्त व्यापारी (संविदाकार) द्वारा **संविदी विभाग सर्वश्री GTM Builders and Promoters Pvt. Ltd. NH-72, Mohkampur, Dehradun** का कार्य किया गया जिसमें **संविदी विभाग (GTM Builders and Promoters Pvt. Ltd.)** द्वारा समाधान योग्य शुद्ध धनराशि ₹2,22,80,807/- पर 4% की दर से ₹ 8,91,232/-की स्रोत पर टी.डी.एस की कटौती की गई किन्तु समस्त टी.डी.एस. की राशि संविदी

विभाग (GTM Builders and Promoters Pvt. Ltd.) द्वारा निर्धारित समय से जमा न करते हुए 310 से 520 दिनों के विलंब पश्चात की गई (विवरण संलग्न-1) ।

अतः धारा 35 की उपधारा (8) के तहत व्यापारी (GTM Builders and Promoters Pvt. Ltd.) द्वारा ₹8,91,232/-के दुगुने अर्थात् ₹17,82,464/- (₹ 8,91,232X2) का अर्थदण्ड एवं धारा 35 की उपधारा (9) के अनुसार ₹1,63,738/- का साधारण ब्याज (15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से) राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

इस विषय में इंगित किए जाने पर, इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त संविदी विभाग उपायुक्त (क.नि.)-5, राज्य कर, देहरादून के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत है। अतः ऑडिट आपत्ति के संबंध में उपायुक्त (क.नि.)- 5 के स्तर से ही कार्यवाही संभव है।

विभाग के उत्तर के परीपेक्ष्य में ₹ 17.82 लाख के अर्थदण्ड एवं ₹ 1.64 लाख ब्याज के अनारोपण का प्रकरण, जो कि उपायुक्त (क.नि.)-5, राज्य कर, देहरादून से संबन्धित है, शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्न-1

आपारी कानाम (सर्वश्री)	TIN सं	कर निर्धारण वर्ष	माह/त्रैमास	कर जमा करने कीदेय तिथि	कर जमा करने कीतिथि	विलंब अवधि (दिन)	कर की राशि	ब्याज @15%	अर्थदण्ड की दर (%)	अ अ
GTM Builders and Promoters Pvt. Ltd.	5008567453	2014-15	Jul-14	20-Aug-14	02-Dec-15	460	108045.00	20424.95	200.00	2
			Aug-14	20-Sep-14	02-Dec-15	430	73840.00	13048.44	200.00	1
			Sep-14	20-Oct-14	02-Dec-15	400	100000.00	16438.36	200.00	2
			Oct-14	20-Nov-14	02-Dec-15	415	208982.00	35641.45	200.00	4
			Nov-14	20-Dec-14	02-Dec-15	370	117696.00	17896.24	200.00	2
			Dec-14	20-Jan-15	02-Dec-15	310	21463.00	2734.33	200.00	
			Feb-15	20-Mar-15	06-Oct-16	550	140694.00	31800.70	200.00	2
			Mar-15	20-Apr-15	06-Oct-16	520	120512.00	25753.25	200.00	2
					TOTAL		891232.00	163737.71		17
								GRAND TOTAL		19

भाग 2 'ब'

प्रस्तर- 01 : कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 4.62 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी व्योहरी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खंड-2, राज्य कर, देहरादून की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि सर्वश्री सिंघल पौलीपैक प्रा. लि., पटेलनगर, देहरादून टिन: 05000641098, द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 की पत्रावली में उपलब्ध कराये गए खरीद-बिक्री के आंकड़ों के अनुसार 5% की दर से करादेय वस्तुओं की बिक्री कम प्रदर्शित की गयी थी, जो निम्नवत है:

(राशि ₹ में)

कर का प्रतिशत	प्रा.रहति या	खरीद	बिक्री	अंतिम रहतिया	कम प्रदर्शित बिक्री	कम प्रदर्शित बिक्री पर आरोपणीय कर@5%
5%	680584	387270.95(प्रा.) 69,48,017.50 (आ)	2843118	548420	4624333	231217

अतः उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार यदि कम प्रदर्शित बिक्री पर लाभांश न भी जोड़ा जाय तब भी कम प्रदर्शित बिक्री ₹46,24,333/- पर बिक्री के अनुक्रम में 5% की दर से ₹2,31,217/- कर आरोपणीय था, जो आरोपित नहीं किया गया। अतः कम आरोपित कर ₹ 2,31,217/-, राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(I)(v) के अंतर्गत नियमानुसार ₹ 2,31,217 का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

उपरोक्त के संबंध में विभाग द्वारा जाचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः **₹4.62** लाख के अर्थदण्ड के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 02 : नियम विरुद्ध कर में छूट दिये जाने के कारण राजस्व क्षति ₹1.98 लाख।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खंड 2 देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान सर्वश्री लाइफ स्टाइल शूज, पलटन बाज़ार देहरादून, टिन 05006256525 की कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया की वर्ष 2016-17 में व्यापारी द्वारा कुल क्रय रु 4382673.00 के फुटवियर का किया गया था। संगत वर्ष में कुल विक्री 4960180.00 की स्वीकार की गयी जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को समाधान योजना का लाभ प्रदान करते हुए 1% की दर से करारोपण किया गया। व्यापारी द्वारा समाधान योजना के विकल्प हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच से स्पष्ट हुआ की उक्त प्रार्थना पत्र का printout नियमानुसार कार्यालय में 05 दिनों के अंदर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः नियत अवधि के अंदर उक्त प्रार्थना पत्र के ऑनलाइन फाइलिंग एवं कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की विश्वसनीयता संदिग्ध है। अर्थात् व्यापारी के समाधान योजना के दावे को स्वीकार कर, कर में रियायत देना नियमानुकूल नहीं है। तदनुसार उक्त विक्रीत मूल्य पर अंतरीय दर 4%से कर ₹198407.00 मय ब्याज आरोपणीय है।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया की व्यापारी को समस्त लीगल एप्लिकेशन ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य है। चूंकि व्यापारी द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु दिनांक 13.05.2016 को ऑनलाइन विकल्प प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है, जो की समयांतर्गत है तथा किसी प्रकार से संदिग्ध नहीं है।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि ऑनलाइन विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की विश्वसनीयता के दृष्टिगत ही स्वयं विकल्प प्रार्थना पत्र में ही यह प्रावधान है की उक्त ऑनलाइन विकल्प प्रार्थना पत्र की हार्ड कॉपी 05दिनों के अंतर्गत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसे व्यापारी द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है की उक्त ऑनलाइन विकल्प प्रार्थना पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा उक्त पर दिनांक सहित रिसीप्ट नंबर अंकित किया जाता है जो की अंकित नहीं है।

अतः प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चधिकारियों की संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर- 03 : कर के न्यूनरोपण के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 0.17 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी ब्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा। पुनः, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(7)(क) के अनुसार यदि कोई कराधेय माल किसी ब्योहारी द्वारा किसी क्रेता को बेच दिया जाए और ऐसा अन्य ब्योहारी विक्रेता ब्योहारी को नियत प्रपत्र में और रीति से इस आशय का एक प्रमाण पत्र (फॉर्म-XI) प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके संबंध में मान्यता प्रमाण पत्र है तो विक्रेता ब्योहारी ऐसे माल के संबंध में 2 प्रतिशत की दर से कर का देनदार होगा। उक्त 2 प्रतिशत की दर को उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 102/XXXVI(3)/2015/22(1)/2015 दिनांक 31 मार्च 2015 के द्वारा 3 प्रतिशत कर दिया गया।

1. सर्वश्रीदून इंजीनीयरिंग, कारगी रोड, देहरादून (TIN-05013180676) द्वारा वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण के समय फॉर्म-XI से की गई बिक्री पर कर की संशोधित दर 3 प्रतिशत के स्थान पर केवल 2 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया जिसके कारण ₹2,987/- कर का न्यूनारोपण हुआ जैसा कि तालिका में स्पष्ट है-

व्यापारी का नाम	टिन संख्या	कर निर्धारण वर्ष	फॉर्म-XI से बेचे गए माल का मूल्य	कर की अंतरीय दर (3%-2%)	अंतरीय दर से कर का न्यूनारोपण में
सर्वश्रीदून इंजीनीयरिंग	05013180676	2016-17	2,98,678	1%	2,987

अतः कम आरोपित कर ₹ 2,987/-, राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है, इसके अतिरिक्त नियमानुसार ब्याज भी देय था।

2. सर्वश्री इलेक्ट्रोवाइस प्रोडक्ट्स, देहरादून, टिन 05016846791 की कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया की वर्ष 2016-17 में व्यापारी द्वारा व्यापार गोदरेज ताले की खरीद बिक्री व बिजली स्विच के निर्माण बिक्री का था। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा कुल क्रय रु 471264.00 (रु 243425.00 की ताले की प्रांतीय खरीद + रु 227840 आइरन शीट्स, एम एस शीट्स, ब्रास शीट्स, स्टील बार इत्यादि की आयातित खरीद) का था। व्यापारी द्वारा सकल बिक्री रु 1761107.00 की घोषित की गयी जिसमें प्रांतीय बिक्री रु 642358.00 (रु 168412.00 के बिजली के स्विच 5% की दर से + 293871.00 के गोदरेज ताले 13.5%+180074.00 के तालों की बिक्री 14.5%) थी। इसके अतिरिक्त रु 1118749.00 के बिजली के स्विच की बिक्री फार्म सी के विरुद्ध की गयी। उल्लेखनीय है की बिजली के स्विच की एंट्री **unclassified** अतः उस पर 13.5%/14.5% से कर देयता बनती है। तदनुसार प्रांतीय बिक्री रु 168412.00 पर न्यूनतम अंतरीय दर 8.5% से कर रु 14315.00 और नियमानुसार ब्याज आरोपणीय था।

क्रम सं 1 एवं 2 के संबंध में विभाग द्वारा उत्तर दिया कि जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही कर लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः कर के न्यूनरोपण से ₹0.17 लाख (0.03 लाख + 0.14 लाख) की राजस्व क्षति का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर- 04 : सुख साधन कर समय से जमा न किए जाने कारण अर्थदण्डका अनारोपण ₹0.55 लाख।

उत्तराखंड सुख साधन कर नियमावली 2009 के नियम 3(B) में विहित प्रावधानों के अनुसार “The amount of tax payable by a Hotel owner under sub-section (1) of Section 5 of the Act shall be paid into a Government Treasury or State Bank of India by a Challan in L.T. Form I within five days after the end of the month to which the tax collected by the Hotel owner relates”.

U.K. (Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975) के Section 5 में विहित प्रावधानों के अनुसार “if any proprietor fails to pay the tax within the prescribed period he shall be liable to pay **simple interest at the rate of 15 percent annum** on the amount remaining unpaid, and such interest shall be added to the amount of tax and deemed for all purposes to be part of the tax”. उपर्युक्त Act के Section 10(1) में विहित प्रावधानों के अनुसार “without prejudice to the provisions of sub-section (2) of Section 5, if any person fails to pay and sum payable under Section 5 or Section 7 within the prescribed period he shall, on conviction be liable to pay a **fine not exceeding rupees five thousand** and when the offence is a continuing one, with a further **fine not exceeding rupees one hundred per day** during which the offence continues”.

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)-2, राज्य कर विभाग देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि सर्वश्री नानक निवास (मेरीज हाल)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 में उपर्युक्त अधिनियमों/नियमों की अनदेखी करते हुए माह अप्रैल 2016 से जून 2016, अगस्त 2016 से जनवरी 2017 एवं मार्च 2017 की अवधि में वसूल किए गए सुख साधन कर को राजकोष में विलंब से जमा किया गया है जिस पर उपरोक्त नियमों के अनुसार अर्थदण्ड ₹55,200/- (विवरण संलग्नक 1) आरोपणीय है एवं राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश CTT UP Vs Wheels India Ltd. 2000 NTN(Vol-16)-377 का संदर्भ दिया गया है जिस में 05 दिन के विलंब हेतु अर्थदण्ड आरोपित किया जाना उचित नहीं माना गया है **(परंतु उक्त निर्णय की प्रति इकाई द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है)।**

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस विषय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा फ्रंटियर स्प्रिंगज लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स उत्तर प्रदेश वाद में 04 अक्टूबर 2013 को दिये

गए निर्णय में उल्लेख किया गया है कि "It has to be kept in mind that payment of interest on the delayed amount of tax flows from statutory provision i.e. Section 8(1) of the Trade Tax Act while penalty proceedings are taken for delayed payment of tax under Section 15A (1) (a) of the Trade Tax Act. Both interest and penalty are two different concepts. Interest flows from the retention of the money, which was legally payable, while penalty is inflicted for violation of statutory provisions and the time scheduled prescribed. In the totality of the circumstances as on record, this Court finds absolutely no illegality in the order passed by the Tribunal (The tribunal had earlier pronounced in the case that deposit of admitted amount of tax interest for delayed period by the assesses, will not dilute the levy of penalty).

अतः, ₹0.55 लाख के अर्थदण्ड के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक 1

Month	Due date	Date of payment of tax	Delay in payment of tax (days)	One time penalty of Rs. 5000/- on conviction	Penalty of Rs. 100/- per day for continuing the offence
Apr-16	5-May-16	7-May-16	2	5000	200.00
May-16	5-Jun-16	7-Jun-16	2	5000	200.00
Jun-16	5-Jul-16	8-Jul-16	3	5000	300.00
Aug-16	5-Sep-16	13-Sep-16	8	5000	800.00
Sep-16	5-Oct-16	11-Oct-16	6	5000	600.00
Oct-16	5-Nov-16	21-Nov-16	16	5000	1600.00
Nov-16	5-Dec-16	13-Dec-16	8	5000	800.00
Dec-16	5-Jan-17	7-Jan-17	2	5000	200.00
Jan-17	5-Feb-17	8-Feb-17	3	5000	300.00
Mar-17	5-Apr-17	7-Apr-17	2	5000	200.00
			Total	50000	5200.00
					55200.00

भाग दो ब

प्रस्तर- 06 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप ₹0.39 लाख की राजस्व क्षति।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खंड 2 देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान सर्वश्री लक्ष्मी एजेंसी देहरादून, टिन 05000559230 की कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया की वर्ष 2015-16 में व्यापारी द्वारा कुल क्रय ₹ 15972145.72 का किया गया था। जिसमें प्रांतीय क्रय ₹15628064.72 एवं आयातित क्रय रु 344081.00 था। कुल बिक्री ₹ 18260878.91 थी जिस पर 05% की दर से कर आरोपित किया गया था। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत क्रय सूची की जांच से पता चला की कुल क्रय ₹16405602.94 (15628064.72+ 781409.58 वैट) था परंतु कर निर्धारण में उक्त क्रय रु 15628064.72 में दिया गया उक्त कर जोड़ा नहीं गया। अतः उक्त अंतरीय क्रय ₹ 781409.58 पर 5% की दर से कर ₹ 39070.00 और नियमानुसार ब्याज आरोपणीय है।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया की बिल पर अलग से प्रभारित वैट, बिक्री मूल्य/ खरीद मूल्य का भाग नहीं होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वैट अधिनियम की धारा 2(51) के अनुसार "Turnover of Purchase" with its cognate expression means the aggregate of the amounts of purchase price paid or payable by a dealer in respect of any purchase of goods made by or through him whether for cash or deferred payment, after deducting the amount, if any, refunded to the dealer by the seller in respect of any goods returned to such seller within such period as may be prescribed से स्पष्ट है कि सेल इन्वाइस पर प्रभारित वैट क्रेता हेतु उसके परचेस टर्न ओवर का भाग होता है।

अतः प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 06 : समाधान राशि के विलंब से जमा किए जाने पर ब्याज का अनारोपण ` 0.20 लाख।

उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 8 के पत्रांक 77/2017/xxvii-8/01(A) (120)/2001 दिनांक 31 जनवरी 2017 द्वारा सीजन वर्ष 2016-17 के लिए ईट-भट्टा समाधान योजना लागू किए जाने के संबंध में दिनांक 01-10-2016 से 30-09-2017 तक की अवधि के लिए उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 7 (2) के अंतर्गत देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि योजना लागू किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के प्रस्तर 10 के अनुसार यदि निर्धारित अवधि तक देय राशि जमा नहीं की जाती तब उक्त देय तिथि के बाद के ठीक अगली तिथि से राशि जमा करने की तिथि तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष (प्रस्तर 7 एवं 18 के अनुसार) की दर से ब्याज भी देय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -2 राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री आर0 बी0 ब्रिक कंपनी, टिन: 05000606372, सहारनपुर रोड, देहरादून द्वारा उक्त समाधान योजना की पंचम किश्त ` 1,15,570/- की राशि देय तिथि 30.06.2017 को जमा न करके दिनांक 08.09.2018 को जमा किया गया है जिसके कारण उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत उक्त राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ` 20,562/- का ब्याज आरोपणीय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि शासनादेश सं -911 दिनांक 10.11.2017 द्वारा 2016-17 हेतु समाधान राशि का 25% कम कर दिये जाने के फलस्वरूप व्यापारी की शुद्ध देयता ` 12,38,250/- रह गई है। चूंकि शासन द्वारा समाधान राशि 25% कम करने का निर्णय लिया जाना था। अतः, व्यापारी द्वारा उक्त निर्णय के पश्चात अपनी शेष देयता जमा की गई। किश्त जमा करने में हुए विलंब हेतु ` 434/- ब्याज भी जमा किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समाधान राशि के 25% कम किए जाने का निर्णय शासन द्वारा दिनांक 10.11.2017 को लिया गया जबकि पंचम किश्त दिनांक 30.06.2017 तक ही जमा हो

जानी चाहिए थी। तथापि उक्त व्यापारी द्वारा ` 1,15,136/- की पंचम किश्त (समाधान राशि के 25% कम किए जाने के पश्चात शेष राशि), ` 434/- ब्याज सहित (कुल ₹1,15,570/-) दिनांक 08.09.2018 को जमा किया गया। इस विलंब के कारण ` 20,260/- का ब्याज आरोपणीय था

अतः समाधान राशि के पंचम किश्त के विलंब से जमा किए जाने पर ब्याज के अनारोपण से `20,260/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

**प्रस्तर - 07 : समाधान योजना का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण राजस्व क्षति ` 15.96
लाख।**

उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 8 के पत्रांक 77/2017/xxvii-8/01(A) (120)/2001 दिनांक 31 जनवरी 2017 द्वारा सीजन वर्ष 2016-17 के लिए ईट-भट्टा समाधान योजना लागू किए जाने के संबंध में दिनांक 01-10-2016 से 30-09-2017 तक की अवधि के लिए उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 7 (2) के अंतर्गत देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि योजना लागू किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

उक्त दिशानिर्देशों के प्रस्तर 6 के अनुसार उक्त समाधान योजना में समाधान राशि देने का विकल्प अपनाने के इच्छुक व्यापारी निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र अपने करनिर्धारक प्राधिकारी को भट्टा सीजन 2016-17 के संबंध में दिनांक 15.02.2017 तक प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र देने की अवधि आयुक्त कर द्वारा बढ़ाई जा सकती है। प्रस्तर 7 के अनुसार यदि कोई ईट निर्माता निर्धारित समय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर सके हो तो अपना प्रार्थना पत्र निर्धारित समाधान राशि के प्रमाण सहित, एवं उक्त निर्धारित अंतिम तिथि के बाद हुई देरी की लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जमा किए जाने के प्रमाण सहित, आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक, प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तर 11 के अनुसार यदि कोई ईट निर्माता व्यापारी प्रस्तर (6) या यथास्थिति प्रस्तर (7) में निर्धारित तिथि तक धारा - 7 की उपधारा (2) में विकल्प हेतु उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र नहीं देते हैं तो यह समझ जाएगा कि वह विधि के सामान्य प्रविधानों के अनुसार कर निर्धारण कराना, रिटर्न प्रस्तुत करना तथा कर का भुगतान करना चाहते हैं और तदनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -2 राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री आर0 बी0 ब्रिक कंपनी, टिन: 05000606372, सहारनपुर रोड, देहरादून द्वारा उक्त समाधान योजना में, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 7 (2) के अंतर्गत देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि देने का विकल्प अपनाने के लिए दिनांक 18.02.2017 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था जबकि उक्त आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.02.2017 थी। शासन द्वारा जारी

उपरोक्त दिशनिर्देशों के अनुसार **प्रार्थना पत्र देने की अवधि आयुक्त कर द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है।** उक्त दिशानिर्देशों के प्रस्तर 7 के अनुसार यदि कोई ईट निर्माता निर्धारित समय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर सके हो तो अपना प्रार्थना पत्र निर्धारित समाधान राशि के प्रमाण सहित, एवं उक्त निर्धारित अंतिम तिथि के बाद हुई देरी के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जमा किए जाने के प्रमाण सहित, **आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक**, प्रस्तुत कर सकता है। व्यापारी की संगत वर्ष की पत्रावली में आवेदन न तो ब्याज सहित जमा है और न ही आयुक्त कर द्वारा आवेदन तिथि बढ़ाये जाने के संबंध में स्वीकृति/अनुमोदन पत्र उपलब्ध है। अतः, उक्त आवेदन को अस्वीकार करते हुए विधि के सामान्य प्रविधानों के अनुसार कर निर्धारण किया जाने चाहिए था।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि व्यापारी द्वारा तकनीकी कारणों से प्रथम किश्त जमा करने में हुए मात्र 01 दिन के विलंब एवं कार्यालय में विकल्प प्रार्थनापत्र दाखिल करने में हुए मात्र 03 दिन के विलंब, जिसे क्षमा करने का विकल्प भी शासन द्वारा व्यापारी को दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त समाधान योजना में प्रार्थनापत्र देने की तिथि आयुक्त कर द्वारा बढ़ाई जा सकती है। जिसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है एवं गत वर्षों में व्यापारी के प्रार्थनापत्र के आधार पर तिथि भी बढ़ाई जाती रही है। इकाई द्वारा यह भी बताया गया कि व्यापारी द्वारा विगत वर्ष 2015-16 में समस्त देयता नियमानुसार जमा की गई है एवं उस आधार पर भी वर्ष 2016-17 हेतु समाधान योजना अपनाने हेतु अर्ह है।

इकाई का उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि उक्त समाधान योजना के प्रस्तर 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रार्थना पत्र देने की तिथि सिर्फ **आयुक्त कर** द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है एवं यदि दिनांक 15.02.2017 तक कोई व्यापारी प्रार्थनापत्र कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, वर्तमान प्रकरण में न तो व्यापारी द्वारा आयुक्त कर के समक्ष तिथि बढ़ाए जाने हेतु कोई आवेदन किया गया और न ही आयुक्त कर द्वारा 3 दिन के विलंब को क्षमा करने हेतु कोई स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त विलंब को न तो समाधान योजना के आवेदन के समय अथवा उसके पश्चात संज्ञान में लिया गया। यहाँ तक कि कर निर्धारण के समय (26.02.2020) भी इस अनियमितता को संज्ञान में लेते हुए आयुक्त कर की अनुमति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इकाई द्वारा स्वयं अपने उत्तर में उल्लेख किया गया है कि विगत वर्षों में विलंब के प्रकरणों में समाधान योजना में प्रार्थनापत्र देने की तिथि आयुक्त कर द्वारा

बढ़ाई गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा भी विलंब के प्रकरणों में विलंब की अवधि को सक्षम अधिकारी (आयुक्त कर) द्वारा बढ़ाये जाने की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है एवं समाधान योजना का लाभ उसी परिस्थिति में प्रदान किया गया है जहां या तो आवेदन समयांतर्गत प्रस्तुत किया गया है अथवा विलंब की अवधि को सक्षम अधिकारी द्वारा माफ किया गया है।

अतः, उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी - सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -2 राज्य कर, देहरादून, द्वारा उक्त व्यापारी सर्वश्री आर0 बी0 ब्रिक कंपनी के विलंब से प्रस्तुत आवेदन को विलंब की अवधि को सक्षम अधिकारी (आयुक्त कर) द्वारा क्षमा किए बिना ही समाधान योजना स्वीकृत किया जाना नियम विरुद्ध है। अतः प्रस्तर 11 के अनुसार उपरोक्त व्यापारी पर विधि के सामान्य प्रविधानों के अनुसार अर्थात् उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अनुसार कर आरोपित किया जाना चाहिए था।

सर्वश्री आर0 बी0 ब्रिक कंपनी द्वारा भट्टा सीजन 2016-17 के संबंध में दाखिल विवरण के अनुसार संगत भट्टा वर्ष 2016-17 में कुल 1,51,14,600 ईंटों की बिक्री घोषित की गई है। दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के कारण भट्टा सीजन 2016-17, 12 महीने (दिनांक 01-10-2016 से 30-09-2017) से घटकर 9 महीने (दिनांक 01-10-2016 से 30-06-2017) का रह गया था। अतः, यदि 12 महीनों की कुल बिक्री 1,51,14,600 ईंटों की थी, तो 9 महीनों की बिक्री यथानुपात 11335950 ईंटों ($15114600 \times 9/12$) की होनी चाहिए थी।

उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 8 के पत्रांक 133/2016/01(A)(120)/XXVII(8)/ 2001 दिनांक 11 फ़रवरी 2016 द्वारा ईंटों की बिक्री पर कर देयता " 5 प्रतिशत या ` 250 प्रति हज़ार, जो भी अधिक हो" निर्धारित की गई है। अतः, 11335950 ईंटों की बिक्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ` 250 प्रति हज़ार की दर से ` 28,33,988/- कर आरोपित किया जाना चाहिए था। उक्त व्यापारी द्वारा पूर्व में ` 12,38,250/ का कर समाधान राशि के रूप में जमा किया गया है। अतः, अंतरीय राशि ` 15,95,738/- (28,33,988 - 12,38,250) व्यापारी सर्वश्री आर0 बी0 ब्रिक कंपनी द्वारा देय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

अतः समाधान योजना का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण ` 15,95,738/- की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

शेष 37,38,650 ईटों की बिक्री पर जी.एस.टी. के अंतर्गत नियमानुसार कर देय होगा।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
30/2009-10	1	1,3,5,7,9	
38/2010-11		1	
27/2011-12		1,2	
04/2014-15		1,2,3,4	1,2
30/2016-17		1,2	
96/2017-18		1,2,3	1
101/19-20		1,2,3,4	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर, खंड-2 देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं:
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री सौरभ तिवारी,	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV

